



राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(कार्यालय : प्रशासनिक भवन, हल्दीना, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर)

Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अका.-द्वितीय/2025/611

दिनांक : 30.06.2025

—:कार्यालय आदेश:—

दिनांक 30.06.2025 को आयोजित निरीक्षण मण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड बी.ए./बी.एस.सी.-बी. एड. महाविद्यालयों की सम्बद्धता का विस्तार सत्र 2025-26 के लिए किये जाने की अभिशंका की अनुपालना में निम्नलिखित महाविद्यालयों की उनके सम्मुख सीटों एवं विषयों में महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सत्र 2025-26 की अस्थाई सम्बद्धता में विस्तार किया जाता है:-

RAJ RISHI BHARTRIHARI MATSYA UNIVERSITY, ALWAR				
List of Integrated B.A./B.Sc.-B.Ed (Four Year Programme) Affiliated College for the Session 2025-26				
Sr. No.	Name of College	Sanction Seats (Arts)	Sanction Seat (Science)	Cat
1	B.D.M.L. College of Education, Dhelawas, Alwar	50	50	C
2	Bansur Mahavidyalaya, Bansur, alwar	50	50	C
3	Bhartiya Prashikshan Sansthan Maharajwas Road, Bijorawas, Behror, Alwar	50	50	C
4	Bhartiya T.T. College, Vill-Jatka, Bhiwadi Megha Highway, Kishangarh Bass, Alwar	50	50	C
5	Children Academy Integrated Degree College Delhi Road Near Bakhatal Alwar.	50	50	C
6	Deep International College of Education, VPO-Harsauli, Kotkasim, Alwar	50	50	C
7	Maharaja Mahila College of Education, Bhagwari Kalan, Th.-Behror, Alwar	50	50	W
8	Matsya Mahavidhyalya Bansur, Alwar	50	50	C
9	Poddar Shikshan Sansthan Lili, Laxmangarh, Alwar	50	50	C
10	Rajasthan College of Education, Jakhrana, Behror	50	50	C
11	Vidhyasthali T.T. College, Nagla Madhopur, Kathumar.	50	50	C

12	Vivekanand Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidhyalya Bibirani, Alwar	NIL	50	W
13	Janki Devi College, Thanagazi, Alwar	50	50	C
14	Shri Jain Teacher's Training College, Alwar 11, Gandhi Nagar Scheme No. 08, Alwar	50	50	C
15	Dr. Radha Krishan Teacher Training College, Basni, Mundawar, Alwar	50	50	C
16	Shri Krishan Co Education College, Mundawar Road, Harsauli	50	50	C

The colleges are directed not to be admit excess students beyond the number of seats sanctioned them, in case they admit excess student the appropriate action for de-affiliation will be initiated against the college

1. समस्त महाविद्यालयों द्वारा एनसीटीई, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के निरीक्षण के दौरान यदि महाविद्यालय द्वारा पत्रावली में जमा करवाये गये दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाती है तो सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
3. महाविद्यालय के द्वारा यदि स्टाफ में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय इसकी सूचना विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से दें।
4. उपरोक्त सभी महाविद्यालयों का सम्बद्धता शुल्क माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जयपुर के समक्ष विचाराधीन रिट संख्या 5892/2025, 7395/2025, 9331/2025, 9332/2025 एवं 9334/2025 के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

कुल-सचिव

क्रमांक : राऋभमवि/अल/अकाद-द्वितीय/2025/612-616

दिनांक : 30.06.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. परीक्षा नियंत्रक।
2. प्राचार्य सम्बन्धित महाविद्यालय
3. निजी सहायक माननीय कुलपति महोदय।
4. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.।
5. रक्षित पत्रावली।

कुल-सचिव